न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2018/00123
मिसल नम्बर–03 / 2018

1.श्याम सुन्दर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र आयु 55 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासीगण–कैथून तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

–प्रार्थी

बनाम

1.नगर पालिका, कैथून जिला कोटा जरिर्ये चैयरमैन
2.राजकीय सिनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैथून, जरिये प्रधानाध्यापक जिला कोटा
3.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 12/1/2026

उपस्थित–
1.श्री सुधीन्द्र यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2.अप्रार्थी क्रम 2 स्वयं उप0।
3.सरकार पैरोकार उप0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम कैथून में निवास करता है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1304, 1305, 1306, 1307, 1308 भी ग्राम कैथून में ही स्थित है। जिस पर प्रार्थी पिछले 100 वर्षों से मकसूद पत्थर स्टॉक व सिनियर हायर सेकेन्ड़ी स्कूल के मध्य स्थित 38 फूट चौड़े वाले आम रास्ते से आता जाता है और यही एक मात्र आम रास्ता प्रार्थी सहित अन्य लोगो व किसानो के लिए उपलब्ध है। प्रार्थी की ग्राम कैथून मे विभिन्न खसरान की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी सहित अन्य व्यक्ति खसरा नम्बर 1366 जो मैन सांगोद रोड पर मकसूद पत्थर स्टॉक के पास व सिनियर हायर सेकेन्ड़ी स्कूल के मध्य स्थित 38 फुट चौडे आम रास्ते से आता – जाता है और उक्त आम रास्ते से आगे खसरा नम्बर 1353 से होकर पटेल जी के कुऐ तक आंम रास्ता बना हुआ है, जो आगे कॉलोनी मे जाता है उक्त आम रास्ता अन्य व्यक्तियो के भी वर्षों से आने जाने का एक मात्र साधन है। इसी आम रास्ते से होकर प्रार्थी वर्षों से अपने कृषि यंत्र ट्रैक्टर, ट्रोली,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

कम्बाईन मशीन आदि लाता ले जाता रहा है तथा फसल आदि को भी इसी रास्ते से लाता ले जाता रहा है। उक्त आम रास्ता खसरा नम्बर 1353 से लंगवा भूमि 1351 व 1352 है जो राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी नम्बर –1 के नाम से दर्ज है, उस पर कई अन्य व्यक्तियो द्वारा कच्ची झोपडियां अवैध रूप से बना रखी है, और उक्त झोपडियों के आगे भी आम रास्ते जो 1366 से 1353 मे होता हुआ प्रार्थी के खेत तक जाता है, उस पर भी अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है, उक्त रास्ते के खसरा नम्बर 1366 के लंगवा ही अप्रार्थी नम्बर–2 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1350 है जिस पर राजकीय सिनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैथून बना हुआ इस प्रकार प्रार्थी पिछले 100 वर्षों से उक्त आम रास्ते से आता जाता रहा है, परन्तु दिनांक 12.01.2018 को अप्रार्थी नम्बर–1 द्वारा प्रार्थी उक्त आम रास्ते खसरा नम्बर 1366 से 1353 होता हुआ प्रार्थी के खेत पर जाता है, उस पर बीच रास्ते मे ही सडक पर सुलभ शौचालय का निर्माण करने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया, जबकि उक्त आम रास्ते का उपयोग प्रार्थी सहित अन्य किसान भी उपयोग करते हुए आये है। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से उक्त रास्ते का उपयोग करता हुआ है व वर्तमान में रास्व रिकार्ड मे भी पगडण्डिया तथा रास्ते के रूम मे दर्ज है, जिस पर अप्रार्थी नम्बर–1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वह उक्त भूमि पर किसी सार्वजनिक शौचालय कर निर्माण कर आम रास्ते को बन्द करे। इसी प्रकार अप्रार्थी नम्बर–2 द्वारा द्वारा दिनांक 10.01.2018 को अवैधानिक रूप से प्रार्थी को उक्त आम रास्ते से आने जाने में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तार बाडे के निर्माण की धमकी दी गई है, जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीं नम्बर–1 व 2 को उक्त कार्य खसरा नम्बर 1366 व 1353 जिस पर होकर प्रार्थी खेत पर आता जाता रहा है, उसको बन्द करने से रोका तो दिनांक 11.01.2018 को अप्रार्थी नम्बर–1 ने सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए निर्माण चालु कर देने की धमकी दी तथा दिनांक 12.01.2018 को निर्माण चालू भी कर दिया तथा अप्रार्थी नम्बर–2 द्वारा उक्त आम रास्ते पर ही प्रार्थी को कहा गया कि उक्त आम रास्ते को तारबाडा करके हम बन्द करके रहेगें, क्योकि प्रार्थी सहित अन्य किसान जो पिछले 100 वर्षों से उक्त आम रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुए आए है जो सुखाधिकार की परिभाषा मे भी आता है, उक्त आम रास्ते को बन्द करने पर अमादा है। यदि अप्रार्थीगण उक्त कार्य मे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपने सुखाधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा प्रार्थी का अपने खेत पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता जो 1366 से 1353 मे जाता है बन्द कर देने से खेती करना ही दुश्वार हो जावेगा, क्योकि अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए उपलब्ध नही है और जिस आम रास्ते से प्रार्थी आअपने खेत पर आता जाता है उक्त 38 फीट चौडा है, उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तथा नक्शा लद्ठा मे भी दर्ज नही है। इसलिए प्रार्थी के लिए उक्त आम रास्ते 38 फुट को राजस्व रिकार्ड व नक्शा लट्ठा में इन्द्राज करवाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी नम्बर–3 को लैण्डहॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वाद कारण दिनांक 11.01.2018 को अप्रार्थी नम्बर–1 ने सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए निर्माण चालू कर देने की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

धमकी दी तथा दिनांक 12.01.2018 को निर्माण चालू भी कर दिया तथा अप्रार्थी नम्बर–2 द्वारा द्वारा दिनांक 10.01.2018 को अवैधानिक रूप से प्रार्थी को उक्त आम रास्ते से आने जाने में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तार बाडे के निर्माण की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तृत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मकसूद पत्थर स्टॉक व सिनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूल के मध्य स्थित 38 फुट चौड़े वाले आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शा लट्ठा में कायम किये जाने के आदेश प्रदान करे। अन्य सहायता जो भी न्यायोचित हो प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया।

अप्रार्थी क्रम 2 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि उक्त प्रकरण/वाद माननीय न्यायाधीश कोटा दक्षिण में 23/01/2018 से चल रहा था एवं माननीय न्यायालय कोटा दक्षिण द्वारा उक्त वाद दिनांक 13/10/2023 के आदेश द्वारा खारिज भी किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कोटा द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी नकल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में शाला भवन के पीछे की ओर से वादी श्री श्याम सुन्दर तक पक्का रास्ता बना हुआ है। तथा वादी के घर से खेत तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई रूकावट नहीं है। साथ ही शाला भवन के पीछे एवं वादी के मकान के मध्य किसी भी प्रकार का सार्वजनिक शौचालय निर्मित नहीं है, जिसका मौका मुआयना पटवारी नगर पालिका कैथून द्वारा करवाया जा सकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वाद समाप्त करने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 3/तहसीलदार लाडपुरा से तत्थ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि उक्त आराजी पर पहुंच मार्ग की समस्या कभी नहीं रही एवं वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान तक (सी0सी0) रोड बना हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थी या प्रार्थी का परिवार लगातार कृषि कार्य करते आ रहे है। जिसकी गिरदावरी की प्रतिलिपी साथ में संलग्न है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य परिवारजनों के नाम से संयुक्त रूप से खाते दर्ज रिकॉर्ड हैं एवं आराजी में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्या) कोटा में मुकदमा नं0 106/19 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में जैरकार है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) RRT 440, 2018(2) RRT1193, 2018(1) RRT 706 पेश किए गए।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा प्रार्थी पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पहुंच का मार्ग उपलब्ध है। मौके पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था।

चूंकि प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः उक्त परिस्थितियों मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा